YOJANASEWA.COM

https://yojanasewa.com

परिसीमन बिल चिदंबरम का बड़ा दावा, BJP का NCP-DMK पर डोरे!

विषय सूची (Table of Contents):

>> मॉनसून सत्र से पहले हलचल 131वां संविधान संशोधन विधेयक दोबारा लाने की तैयारी में...
>> सर्वदलीय बैठक और विपक्ष की रणनीति...
>> क्या संसद में आम सहमति बन पाएगी?...
>> पी चिदंबरम का बड़ा दावा परिसीमन बिल के लिए NCP-SP और DMK को रिझा रही है भाजपा...
>> क्षेत्रीय क्षत्रपों को अपने पाले में लाने की कोशिश...
>> चिदंबरम की दोनों बड़े दलों से भावुक अपील...
>> महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक लाभ , चिदंबरम ने बताई बिल की असली मंशा...
>> दिखावे के लिए महिला आरक्षण का सहारा...
>> निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन और पार्टी हित...
>> क्या है 131वां संविधान संशोधन विधेयक जिसमें 850 लोकसभा सीटों का है प्रस्ताव?...
>> संसद में बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत का गणित और टीएमसी में टूट का असर...
>> तृणमूल कांग्रेस (TMC) में हुई टूट का प्रभाव...
>> सदन के भीतर नंबर गेम का नया समीकरण...
>> 106वें संशोधन का हवाला चिदंबरम ने उठाया सवाल- नए बिल की क्या है आवश्यकता?...
>> जब पहले से ही कानून है, तो नया क्यों?...
>> विपक्ष को संदेह के घेरे में खड़ी दिखती मंशा...
>> विपक्षी दलों से अपील   असली मकसद को समझें, विधेयक का समर्थन न करें पार्टियां ...
>> रुख पर कायम रहने की उम्मीद...
>> 20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र पर टिकी नजरें...
>> निष्कर्ष (Conclusion)...
>> जनता के सवाल (FAQs)...

New Delhi:संसद का आगामी मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल देखी जा रही है। इस महत्वपूर्ण सत्र के ठीक एक दिन पहले, यानी 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले ही देश के नीतिगत बदलावों और आगामी प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच भी चर्चाएं तेज हैं। अगर आप भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो नवीनतमMAIN NEWS HEADLINE: यूपीएससी पाठ्यक्रम 2026, आईएएस प्रारंभिक और मुख्यको देख सकते हैं।

मॉनसून सत्र से पहले हलचल: 131वां संविधान संशोधन विधेयक दोबार

संसद का आगामी सत्र बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि सरकार इस बार 131वां संविधान संशोधन विधेयक दोबारा पेश करने जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार ने विधायी कार्यों की सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विपक्ष इस कदम को सरकार की एक बड़ी राजनीतिक चाल के रूप में देख रहा है, जिससे दोनों सदनों में तकरार तय मानी जा रही है।

सर्वदलीय बैठक और विपक्ष की रणनीति

19 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्षी दलों को इस संशोधन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने का प्रयास करेगी। हालांकि, कांग्रेस सहित कई प्रमुख क्षेत्रीय दल पहले ही इस विधेयक के विरोध में लामबंद होने लगे हैं। इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच खेल जगत से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हाल ही मेंसूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से बाहर किया गया!जिसने प्रशंसकों को चौंका दिया है।

क्या संसद में आम सहमति बन पाएगी?

इस विधेयक के दोबारा सामने आने से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की दूरियां और बढ़ सकती हैं। सरकार जहां इसे देश के विकास और लोकतांत्रिक ढांचे के विस्तार के लिए आवश्यक बता रही है, वहीं विपक्ष इसे एक सोची-समझी चुनावी रणनीति करार दे रहा है।

पी चिदंबरम का बड़ा दावा: परिसीमन बिल के लिए NCP-SP और DMK को

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। चिदंबरम के मुताबिक, भाजपा इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक को हर हाल में पारित कराना चाहती है। इसके लिए वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट यानी NCP-SP) और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) जैसी मजबूत विपक्षी पार्टियों को साधने और उन्हें रिझाने की पुरजोर कवायद में जुट गई है।

क्षेत्रीय क्षत्रपों को अपने पाले में लाने की कोशिश

चिदंबरम ने चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा का पूरा ध्यान इस समय उन क्षेत्रीय दलों पर है जो संसद में संख्या बल के लिहाज से अहम भूमिका निभा सकते हैं। भाजपा नेतृत्व लगातार इन दलों के शीर्ष नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है ताकि सदन के भीतर आवश्यक मत हासिल किए जा सकें।

चिदंबरम की दोनों बड़े दलों से भावुक अपील

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने NCP (SP) और DMK से बेहद स्पष्ट और खुली अपील की है कि वे भाजपा के इस जाल में न फंसें। उन्होंने दोनों दलों के नेतृत्व से आग्रह किया है कि वे इस विधेयक के दूरगामी और नुकसानदेह प्रभावों को समझें और संसद के भीतर किसी भी परिस्थिति में इसका समर्थन न करें।

महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक लाभ , चिदंबरम ने बताई बिल की

पी चिदंबरम ने सरकार के इरादों पर सीधा हमला बोलते हुए इस विधेयक की मूल भावना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि यह वही विधेयक है, जो अप्रैल 2026 में संसद के पिछले सत्र के दौरान भारी विरोध के कारण पारित नहीं हो सका था। इसे दोबारा लाना सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करता है।

दिखावे के लिए महिला आरक्षण का सहारा

चिदंबरम का कहना है कि सरकार इस बिल को इस तरह पेश कर रही है जैसे यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करने का एक पवित्र प्रयास हो। लेकिन हकीकत में, महिला आरक्षण का यह पूरा ताना-बाना सिर्फ एक मुखौटा है, जिसके पीछे मुख्य एजेंडा कुछ और ही है।

निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन और पार्टी हित

चिदंबरम ने आरोप लगाया कि इस विधेयक का असली और छुपा हुआ मकसद लोकसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन (Delimitation) करना है। सरकार निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन इस चतुराई से करना चाहती है जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को आगामी चुनावों में सीधा राजनीतिक और चुनावी लाभ मिल सके।

क्या है 131वां संविधान संशोधन विधेयक जिसमें 850 लोकसभा सीटों

केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में पहली बार लोकसभा में पेश किए गए 131वें संविधान (संशोधन) विधेयक के प्रावधान बेहद व्यापक और प्रभाव डालने वाले हैं। इस विधेयक के तहत देश की राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में एक अभूतपूर्व बदलाव लाने का प्रस्ताव रखा गया है।

>> लोकसभा सीटों में भारी वृद्धि:इस विधेयक के कानूनी रूप लेते ही देश में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या वर्तमान से बढ़ाकर सीधे 850 करने का प्रावधान है।

>> तत्काल परिसीमन प्रक्रिया की शुरुआत:इसके माध्यम से देश भर के सभी राज्यों में नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने यानी परिसीमन प्रक्रिया को हरी झंडी मिल जाएगी।

>> प्रतिनिधित्व का नया ढांचा:जनसंख्या के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर विभिन्न राज्यों में सीटों का आवंटन नए सिरे से किया जाएगा, जिससे दक्षिण और उत्तर के राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन बदल सकता है।

इस बड़े राजनीतिक बदलाव के बीच, देश के युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर भी नई घोषणाएं हुई हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तोसरकारी नौकरियों की इस लिस्ट में से अपना नाम डाल लें, मई में बंद होगी 20,697 वैकेंसी!के माध्यम से अपना एप्लिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

संसद में बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत का गणित और टीएम

भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को संसद से हरी झंडी दिलाने के लिए एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई (Two-Thirds Majority) विशेष बहुमत होना अनिवार्य है।

तृणमूल कांग्रेस (TMC) में हुई टूट का प्रभाव

चिदंबरम ने अपने दावों में एक और बड़ा संकेत दिया है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर हुई कथित टूट और सांगठनिक बिखराव के बाद अब भाजपा का हौसला काफी बढ़ गया है। भाजपा को लगता है कि विपक्ष के कमजोर होने से उसका काम आसान हो सकता है, इसलिए अब उसने अपना पूरा ध्यान एनसीपी (शरद पवार गुट) और डीएमके पर केंद्रित कर दिया है।

सदन के भीतर नंबर गेम का नया समीकरण

यदि भाजपा इन दोनों प्रमुख विपक्षी दलों का समर्थन या तटस्थता हासिल करने में सफल हो जाती है, तो वह संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस इस समय विपक्ष की एकजुटता को बनाए रखने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है।

106वें संशोधन का हवाला: चिदंबरम ने उठाया सवाल- नए बिल की क्य

पी चिदंबरम ने सरकार की दलीलों को पूरी तरह खारिज करने के लिए एक बेहद मजबूत कानूनी और संवैधानिक तर्क सामने रखा है। उन्होंने याद दिलाया कि देश में महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद द्वारा पहले ही 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जा चुका है।

जब पहले से ही कानून है, तो नया क्यों?

चिदंबरम ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि जब 106वें संशोधन के माध्यम से महिला आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान पहले से ही देश के कानून की किताब का हिस्सा बन चुका है, तो फिर एक और नया 131वां संशोधन विधेयक लाने की क्या तुक है? सरकार को देश की जनता को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

विपक्ष को संदेह के घेरे में खड़ी दिखती मंशा

पूर्व गृह मंत्री के अनुसार, इस नए विधेयक की आड़ में सरकार केवल अपने मूल एजेंडे यानी परिसीमन को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। उनका मानना है कि सरकार इस बिल के आधिकारिक ड्राफ्ट (PDF) और इसके प्रावधानों को लेकर पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, जो लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है।

विपक्षी दलों से अपील: असली मकसद को समझें, विधेयक का समर्थन

लेख के इस अंतिम हिस्से में चिदंबरम की उस उम्मीद और भरोसे का जिक्र करना जरूरी है जो उन्होंने अपने सहयोगियों पर जताया है। उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा ने रिझाने की बड़ी कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि एनसीपी (एसपी) और डीएमके इस विधेयक के पीछे छिपे वास्तविक राजनीतिक उद्देश्य को अच्छी तरह भांप चुके हैं।

रुख पर कायम रहने की उम्मीद

चिदंबरम ने आशा व्यक्त की है कि विपक्ष के ये दोनों प्रमुख स्तंभ अपने पुराने रुख पर पूरी तरह अडिग रहेंगे और संसद के भीतर सरकार के इस कदम के खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे। वे किसी भी प्रलोभन या राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।

20 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र पर टिकी नजरें

अब पूरे देश की नजरें 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र पर टिकी गई हैं। विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ एक संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए लगातार आंतरिक बैठकें कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद के पटल पर इस बिल का भविष्य क्या होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 के मॉनसून सत्र का सबसे बड़ा फ्लैशपॉइंट बनने जा रहा है। पी चिदंबरम के हालिया दावों ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक युद्ध देखने को मिल सकता है। लोकसभा की सीटों को 850 करने और परिसीमन के इस खेल में क्षेत्रीय दलों का रुख ही अंतिम निर्णय तय करेगा। देश की जनता भी इस लेटेस्ट अपडेट पर बारीक नजर रखे हुए है क्योंकि यह सीधे तौर पर भारत के भविष्य के लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रभावित करने वाला फैसला है।

जनता के सवाल (FAQs)

उत्तर: 131वां संविधान संशोधन विधेयक केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव है, जिसके तहत लोकसभा की कुल सीटों की संख्या को वर्तमान से बढ़ाकर 850 करने और देश भर में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान शामिल है।

उत्तर: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि भाजपा महिला आरक्षण के पवित्र नाम का इस्तेमाल करके वास्तव में लोकसभा सीटों का अपने फायदे के हिसाब से परिसीमन करना चाहती है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बिल को पास कराने के लिए भाजपा विपक्षी दलों जैसे NCP-SP और DMK को रिझा रही है।

उत्तर: भारतीय संविधान के अनुसार, किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में अलग-अलग दो-तिहाई (Two-Thirds Majority) विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

उत्तर: चिदंबरम का तर्क है कि जब देश में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए पहले ही 106वां संविधान संशोधन कानून बनाया जा चुका है, तो फिर महिला आरक्षण के नाम पर इस नए 131वें संशोधन विधेयक को लाने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है।

उत्तर: साल 2026 का संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सत्र के सुचारू संचालन और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक आमंत्रित की है।